

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी - नीता वसीटा

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

22/2010

22/03/2010

०5/09/2024

सार्वजनिक निर्माण विभाग इटावा, जरिये सहायक अभियन्ता पी० डब्लू०
डी० इटावा, जिला कोटा।

बनाम

स्टेट ऑर राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा राजस्थान

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर० एक्ट

संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में खाता सरकार झाडीदार वन में खसरा नंबर 54 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें से सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के पक्ष में खसरा नंबर 54 की 14 बिस्वा भूमि सड़क के लिए दी गई थी, जो रिकार्ड है।

यह कि उक्त खसरा नंबर की भूमि देने के बाद अप्रार्थी ने रहन निवास हेतु पटवारघर निर्माण कराकर अन्य कार्य हेतु सामग्री रखने के लिए टीनसेट व पाईप व दीवार शेड का निर्माण कराकर सेटलमेंट से पूर्व यथावत काबिज चले आ रहे हैं।

यह कि सेटलमेंट के पश्चात पुरान खसरा नंबर 54 के नये खसरा नंबर 471 की 0.01 है० 472 की 0.20 है० गैर मुमकीन आबादी (खाता सरकार) दर्ज कर दिया है। इसे दर्ज करने का सेटलमेंट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रभाव शून्य दुरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि प्रार्थी को कानूनी अधिकार प्राप्त है कि सैटलमेंट से पूर्व प्रार्थी को सड़क हेतु दी गई खसरा नंबर 54 की 14 बिस्वा आराजी जिसके सेटलमेंट के बाद नये खसरा नंबर 471 की 0.01 है०, 472 की 0.20 है, गैर मुमकिन आबादी (खाता सरकार) दर्ज किया है को दुरस्त करवाकर हाल खसरा नंबर 471 की 0.01 है०, 472 की 0.20 है० में से 0.12 है० भूमि को प्रार्थी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नंबर 54 के नये खसरा नंबर 471 की 0.01 है० 472 की 0.20 है० गैर मुमकीन आबादी (खाता सरकार)

11

दर्ज कर दिया है। उसको दुरस्त कर हाल खसरा नंबर 471 की 0.01 है0, 472 की 0.20 है0

में से 0.12 है0 भूमि प्रार्थी के खाते में दर्ज किए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर सरकार की तलबी जरिये सम्मन करवायी गई सरकार की और से नायब तहसीलदार पीपल्वा द्वारा अग्रलिखित जवाब पेश किया गया:-

बिन्दू संख्या 1. जमाबंदी सं0 2036-39 (संलग्न नकल) ग्राम खातौली अनुसार गत खसरा नंबर 54 रकबा 32 बिघा 19 बिस्वा दर्ज है जिसमें खसरा नंबर 54 की 14 बिस्वा भूमि सड़क में गई का नोट दर्ज है।

बिन्दू संख्या 2. हाल खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 है0 एवं 472 रकबा 0.20 है0 किस्म गैर मुमकिन आबादी ग्राम पंचायत खातौली के नाम दर्ज है। मौके पर वर्तमान में खसरा नंबर 472 में 0.01 है0 में पटवार घर बना हुआ है। शेष खसरा नंबर 472 की भूमि एवं खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 है0 भूमि पड़त पड़ी हुई है।

बिन्दू संख्या 3. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 व 472 रकबा 0.20 है0 गत खसरा नंबर 54 से बने है। परन्तु हाल व गत नक्शे का मिलान करने पर हाल खसरा नंबर 471, 472 गत खसरा नंबर 82 का 6 बिघा 4 बिस्वा से बनना प्रतित होता है गत खसरा नंबर 82 रकबा 6 बिघा 4 बिस्वा भूमि भंवरलाल हरदेवा हजारीलाल पुत्रान नाथूलाल जाति बैरवा निवासी खातौली के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान खसरा क्षेत्रफल गत खसरा नंबर 82 रकबा 6 बिघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 473 रकबा 0.60 व 130 रकबा 0.07 है0 से बने है। खसरा नंबर 473 रकबा 0.60 है0 विभाजित होकर नये खसरा 1491/473 रकबा 0.24 है0 व खसरा 1492/473 रकबा 0.36 है0 हजारी लाल पुत्र नाथूलाल बैरवा सा0 देह तथा खसरा नंबर 130 रकबा 0.07 है0 अनिता पुत्री भैरूलाल आशा पुत्री भैरूलाल, कमल प्रकाश पुत्र हरदेवा, कैलाशी बाई पुत्री भंवरलाल, कविता पुत्री हरदेवा, गोपीबाई पत्नी स्व हरदेवा, भैरोसी पत्नी स्व0 भैरूलाल, प्रेमबाई पुत्री हरदेवा, मोतीलाल पुत्र भंवरलाल, रमेश चन्द्र पुत्र भंवरलाल, रोशन लाल पुत्र हरदेवा, संगीत पुत्री भैरूलाल हजारी लाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।


बिन्दू संख्या 4 वादी खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 एवं खसरा नंबर 54 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा भूमि सड़क के गई। खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 एवं 472 रकबा 0.20 है के समीप खसरा नंबर 469 रकबा 7.10 है किस्म गैर मुमकिन सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है। सड़क के खसरा नंबर 469 तथा खसरा नंबर 471, 472 के मध्य खातेवारी भूमि खसरा नंबर 1492 रकबा 473 स्थित है।

11

हमने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों व जवाब सरकार का गहनता से अवलोकन मनन किया गया। जमाबन्दी सं० 2036 से 2039 के अनुसार खसरा नंबर 54 रकबा 32 बीघा 19 बिस्वा भूमि सिवाय चक दर्ज है। जिसमें खसरा नंबर 54 की 14 बिस्वा भूमि सड़क में जाने का नोट अंकित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 है० व खसरा नंबर 472 रकबा 0.20 है०। गै० मुमकिन आबादी गत खसरा नंबर 54 से बने है प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट अनुसार हाल व गत नक्शे का मिलान करने पर हाल खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 है। खसरा नंबर 472 रकबा 0.20 है० गत खसरा .82 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा से बनना प्रतीत होता है। जो भंवरलाल, हरदेव, हजारीलाल पुत्रान नाथूलाल बैरवा सा० खातौली के नाम दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड के अंकन में कोई त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता। प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पेश रिपोर्ट में भी हाल खसरा नंबर 471 रकबा 0.01 है व 472 रकबा 0.20 है० में गैर मुमकिन आबादी में सार्वजनिक निर्माण विभाग का किसी प्रकार का निर्माण/कब्जा नहीं बताया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ०५-०९-२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा